M37P/DY·No-302

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB SECTION (ii)]

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
(Central Board of Direct Taxes)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 2016.

S.O.......(E).- In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, "National Biodiversity Authority" an authority established under the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003) in respect of the following specified income arising to that Authority, namely:-

(a) amount received in the form of grant-in-aid from the Government of India;
(b) amount received in the form of interest;
(c) benefit sharing fee and royalty received;
(d) amount received in the form of penalty and application fees.

2. This notification shall be effective subject to the following conditions, namely:-

(d) the National Biodiversity Authority shall not engage in any commercial activity;
(e) the activities and the nature of the specified income of the National Biodiversity Authority shall remain unchanged throughout the financial years; and
(f) the National Biodiversity Authority shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the said Act.

3. This notification shall be deemed to apply for the period 01.06.2011 to 31.03.2012 and financial years 2012-13, 2013-14, 2014-15 and shall apply with respect to the financial year 2015-2016.

[Notification No. 16 /2016, F.No.196/28/2012-ITA-I]

(Deepshikha Sharma)
Director to the Government of India

To

The Manager,
Government of India Press,
Ring Road, Mayapuri,
Near Rajouri Garden,
New Delhi.

17/3/16

[भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 16 मार्च, 2016.

का.आ. (अ), - आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के उपवाक्य (46) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, उक्त उपवाक्य के प्रयोजन के लिए "राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण" को इस प्राधिकरण को होने वाली निम्नलिखित आय की बावत जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) के अंतर्गत एक स्थापित प्राधिकरण घोषित करती है, यथा :-

(क) भारत सरकार से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त होने वाली आय;

(ख) ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली आय;

(ग) लाभ भागीदारी शुल्क और प्राप्त रॉयल्टी;

(घ) दण्ड और आवेदन शुल्क के रूप में प्राप्त राशि।

2. यह अधिसूचना निम्नलिखत शर्तों के अधीन लागू होगी, यथा :-

(क) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कोई भी वाणिज्यिक क्रियाकलाप में संलग्न नहीं होगा;

(ख) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के क्रियाकलाप और इसको होने वाली विशेष आय के स्रोत में पूरे वित्तीय वर्षों में कोई परिवर्तन नहीं होगा

(ग) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण उक्त अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (4ग) के उपवाक्य (छ) के प्रावधानों के अनुसार अपना आयकर रिटर्न भरा करेगा।

3. इस अधिसूचना को 1.6.2011 से 31.03.2012 वित्तीय वर्ष 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 तक की अवधि के लिए लागू किया गया माना जाएगा और यह वित्तीय वर्ष 2015-2016 के लिए भी लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 16 /2016, फा.सं. 196/28/2012-आईटीए-I]

दीपशिखा

(दीपशिखा शर्मा)

निदेशक, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

रिंग रोड, मायापुरी,

निकट, राजौरी गार्डन,

नई दिल्ली।